

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.2(5) न्याय/2012

जयपुर, दिनांक

8 DEC 2016

:: अधिसूचना::

इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्रमांक प.2(5) न्याय/2012 दिनांक 28.01.2013 का अधिक्रमण करते हुए, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (सन् 2012 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 32) की धारा 28 तथा कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाईल्ड राईट्स एक्ट, 2005(सन् 2006 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 6) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, माननीय मुख्य न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श उपरान्त उक्त अधिनियमों के अधीन दण्डनीय अपराधों के विचारण हेतु निम्नलिखित न्यायालयों को उनके नाम के आगे अंकित क्षेत्राधिकारिता के लिए विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट करती है:-

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार
1.	विशिष्ट न्यायालय, अनु.जाति/जन जाति (अत्याचार निवारण प्रकरण) अजमेर	अजमेर जिला
2.	विशिष्ट न्यायालय, अनु.जाति/जन जाति (अत्याचार निवारण प्रकरण) अलवर	अलवर जिला
3.	विशिष्ट न्यायालय, अनु.जाति/जन जाति (अत्याचार निवारण प्रकरण) बाड़मेर	बाड़मेर जिला
4.	विशिष्ट न्यायालय, अनु.जाति/जन जाति (अत्याचार निवारण प्रकरण) बांरा	बांरा जिला
5.	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बांसवाड़ा	बांसवाड़ा जिला
6.	विशिष्ट न्यायालय, अनु.जाति/जन जाति (अत्याचार निवारण प्रकरण) भरतपुर	भरतपुर जिला
7.	विशिष्ट न्यायालय, अनु.जाति/जन जाति (अत्याचार निवारण प्रकरण) भीलवाड़ा	भीलवाड़ा जिला
8.	विशिष्ट न्यायालय, अनु.जाति/जन जाति (अत्याचार निवारण प्रकरण) बीकानेर	बीकानेर जिला
9.	विशिष्ट न्यायालय, अनु.जाति/जन जाति (अत्याचार निवारण प्रकरण) बुन्दी	बुन्दी जिला
10.	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या 3 चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़ जिला
11.	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चुरू	चुरू जिला
12.	विशिष्ट न्यायालय, अनु.जाति/जन जाति (अत्याचार निवारण प्रकरण) दौसा	दौसा जिला
13.	विशिष्ट न्यायालय, अनु.जाति/जन जाति (अत्याचार निवारण प्रकरण) धौलपुर	धौलपुर जिला
14.	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, डुंगरपुर	डुंगरपुर जिला
15.	विशिष्ट न्यायालय, अनु.जाति/जन जाति (अत्याचार निवारण प्रकरण) श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर जिला
16.	विशिष्ट न्यायालय, अनु.जाति/जन जाति (अत्याचार निवारण प्रकरण) हनुमानगढ़	हनुमानगढ़ जिला
17.	विशिष्ट न्यायालय, अनु.जाति/जन जाति (अत्याचार निवारण प्रकरण) जयपुर महानगर	जयपुर महानगर न्यायक्षेत्र
18.	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या 2 जयपुर जिला	जयपुर जिला न्यायक्षेत्र
19.	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर	जैसलमेर जिला
20.	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जालोर	जालोर जिला
21.	विशिष्ट न्यायालय, अनु.जाति/जन जाति (अत्याचार निवारण प्रकरण) झालावाड़	झालावाड़ जिला
22.	विशिष्ट न्यायालय, अनु.जाति/जन जाति (अत्याचार निवारण प्रकरण)	झुंझुनू जिला

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार
	प्रकरण) झुंझुनू	
23.	विशिष्ट न्यायालय, अनु.जाति/जन जाति (अत्याचार निवारण प्रकरण) जोधपुर महानगर	जोधपुर महानगर न्यायक्षेत्र
24.	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर जिला	जोधपुर जिला न्यायक्षेत्र
25.	विशिष्ट न्यायालय, अनु.जाति/जन जाति (अत्याचार निवारण प्रकरण) करौली	करौली जिला
26.	विशिष्ट न्यायालय, अनु.जाति/जन जाति (अत्याचार निवारण प्रकरण) कोटा	कोटा जिला
27.	विशिष्ट न्यायालय, अनु.जाति/जन जाति (अत्याचार निवारण प्रकरण) मेड़ता	नागौर जिला
28.	विशिष्ट न्यायालय, अनु.जाति/जन जाति (अत्याचार निवारण प्रकरण) पाली	पाली जिला
29.	विशिष्ट न्यायालय, अनु.जाति/जन जाति (अत्याचार निवारण प्रकरण) प्रतापगढ़	प्रतापगढ़ जिला
30.	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमन्द	राजसमन्द जिला
31.	विशिष्ट न्यायालय, अनु.जाति/जन जाति (अत्याचार निवारण प्रकरण) सवाईमाधोपुर	सवाईमाधोपुर जिला
32.	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या 2 सीकर	सीकर जिला
33.	विशिष्ट न्यायालय, अनु.जाति/जन जाति (अत्याचार निवारण प्रकरण) सिरोही	सिरोही जिला
34.	विशिष्ट न्यायालय, अनु.जाति/जन जाति (अत्याचार निवारण प्रकरण) टोंक	टोंक जिला
35.	विशिष्ट न्यायालय, अनु.जाति/जन जाति (अत्याचार निवारण प्रकरण), उदयपुर	उदयपुर जिला

राज्यपाल के आदेश से,

08/12/16
(मनोज कुमार व्यास)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान सरकार।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
7. समस्त जिला कलेक्टर/जिला एवं सेशन न्यायाधीश/पुलिस अधीक्षक।
8. संबंधित न्यायालय।
9. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण), शासन सचिवालय, जयपुर।
10. महानिदेशक आरक्षी/जेल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
11. निदेशक, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर को राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ (सी.डी. सहित)।
14. प्रोग्रामर, विधि विभाग।
15. रक्षित पत्रावली।

08/12/16
(डॉ० कैलाश चन्द्र अटवासिया)
संयुक्त शासन सचिव